समक्ष विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, (द.वि.वि.नि.लि.),

कानपुर मण्डल, कानपुर ।

परिवाद संख्या- 60/2021

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

------- परिवादी /आवेदक

बनाम

अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, (द.वि.वि.नि.लि.),
छिबरामऊ, कन्नौज ।

------- विपक्षी

अध्यासीन (उपस्थित) : (1) श्री संतोष कुमार तिवारी (कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य)
(2) श्री संजीव कुमार गुप्ता (सदस्य/अनु.)

निर्णय

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) द्वारा इनर्जी कन्ट्रोलर ने अपने विद्वान अधिकृत अधिवक्ता मो. कौसर जाँह द्वारा दिनांक 22.11.2021 को अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, छिबरामऊ, कन्नौज (दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) के विरूद्ध अपने विद्युत कनेक्शन सं. 4222/031240 के संम्बंध में त्रुटिपूर्ण मीटर एवं विद्युत बिलों में संशोधन के सम्बंध में इस फोरम के समक्ष परिवाद दाखिल किया गया है। परिवाद में मूख्यरूप से निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया है:-

(a) विद्युत विलों की धनराशि में विद्युत वितरण कोड 2005 के धारा 6.5 (c) के अनुसार संशोधन किया जाये ।

(b) अधिक जमा की गयी धनराशि का समायोजन आगामी विलों में विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 के अनुसार किया जाये ।

(c) विपक्षी को विद्युत वितरण कोड 2005 की धारा 6.5 (b) (i) के अनुसार विलम्ब अधिभार (LPSC) को माफ करने हेतु निर्देशित किया गया ।

(d) वाद खर्च के भुगतान हेतु आदेश पारित किया जाये ।

(e) अन्य कोई आदेश जिससे उपभोक्ता का अधिकार संरक्षित रहे ।

इण्डस टावर लि. आजाद नगर, छिबरामऊ का विद्युत कनेक्शन सं. 4222/031240 स्वीकृत भार 7.5 KVA का Previous Arrear और Previous Surcharge रु. 3,83,881/- था ।

विपक्षी द्वारा जवाबदावा (का. सं. 3/1 ता 3/6) दाखिल किया गया है । धारा 1 के कथन विवादित नहीं है । धारा 2 के कथन असत्य व अस्वीकार है । परिवादी के द्वारा अपने कथन के समर्थन में टेली कम्यूनिकेशन डिर्पाटमेंट से

आगे जारी है ।

जारी फर्म / परिवादी के पंजीकरण प्रमाण पत्र की कोई प्रतिलिपि पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं की है। जिसके कारण परिवादी का कथन पूर्णतया गलत है। तथा इस आधार पर ही परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है। धारा 3 के कथन विधिक प्रावधानों से सम्बन्धित हैं जिनके सम्बन्ध में कोई कथन करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 4 के कथन में यह बताना है कि परिवादी को विद्युत कनेक्शन एयरसेल के नाम से टावर आजाज नगर सौरिख छिबरामऊ में विद्युत कनेक्शन संख्या 4222/031240 जारी हुआ था। जो कि विधिक प्रावधानों के अनुसार परिवादी से अथवा एयरसेल से निर्धारित धनराशि नये कनेक्शन के सम्बन्ध में लेने के उपरान्त जारी किया गया था। कोई अतिरिक्त धनराशि को परिवादी से जमा नहीं कराया गया था। धारा 5 के कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीकार हैं। परिवादी का मीटर सही प्रकार से काम कर रहा है। परिवादी के द्वारा कोई भी शिकायत पत्र मीटर के सही प्रकार से कार्य न करने के सम्बन्ध में नहीं दिया गया। अन्यथा विपक्षी के द्वारा निर्धारित शुल्क मीटर की जांच कराने का जमा कराकर मीटर की जांच कराई जा सकती थी। परिवादी के द्वारा अपने कथन के समर्थन में परिवाद पत्र के साथ भी मीटर के खराब होने से सम्बन्धित कोई शिकायत पत्र की प्रतिलिपि अथवा मीटर को जांच कराने के प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि आज तक पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं की है। और न ही मीटर के खराब होने की कोई तिथि वर्णित की है। जिससे स्पष्ट है कि परिवादी अपने कथनों के संदर्भ में खुद ही निश्चित नहीं है। धारा 6 के कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीकार हैं। परिवादी के द्वारा माह दर माह के बिलों की धनराशि का भुगतान न करने के कारण उसके ऊपर दिनांक 20.02.2017 तक रू. 4,30,098/- बकाया थी। जिसमें परिवादी के द्वारा बकाया भुगतान न करने के कारण मय बकाया अधिभार रू.3,59,660/- बाकी था। परिवादी के द्वारा एक चेक रू. 51,930.34 की दी थी वह भी अनादृत हो गयी थी। परिवादी के द्वारा दिनांक 19.04.2017 को मात्र रू. 9,294/- का भुगतान किया गया था। परिवादी के द्वारा अपने परिवाद पत्र के साथ दाखिल कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार भी कोई बिल की धनराशि का माह 04/17 से पहले भुगतान नहीं किया गया है। जिसके कारण परिवादी समस्त बिल बकाया धनराशि को मय लेट पेमेन्ट सरचार्ज सहित भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है। धारा 7 के कथन में परिवादी के द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) का उल्लेख किया है। उक्त धारा के कथनों को छोड़कर शेष कथन असत्य व अस्वीकार है। परिवादी के प्रकरण में उक्त धारा के प्रावधान लागू नहीं होते है। जैसा कि जवाबदावे के संलग्नक लेजर से स्पष्ट है कि परिवादी को माह दर माह के बिल जारी किये गये। जिनमें पूर्व बिल की बकाया धनराशि को जोड़ा गया जिसके कारण भी परिवादी विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 56(2) का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। परिवादी के ऊपर माह 02/17 तक रू. 4,30,098/- बकाया था। यदि परिवादी का कनेक्शन आगे चल रहा है तो उक्त विद्युत उपभोग की धनराशि का भुगतान करने के लिये भी परिवादी जिम्मेदार है। धारा 8 के कथन विधिक है। जिनके संदर्भ में कोई अन्य कथन करने की आवश्यकता नहीं है। धारा 9 के कथन में यह बताना है कि परिवादी को वर्ष 2012 से निर्बाध अर्थात बिना कटौती के विद्युत सप्लाई प्रदान होती रही जिसके कारण उसे पूर्व में बिल अरबन सप्लाई क्षेत्र की तरह विद्युत के बिल जारी किये गये। वर्तमान समय में उक्त क्षेत्र की विद्युत सप्लाई ग्रामीण फीडर की तरह होने के कारण ग्रामीण फीडर के अनुसार बिल जारी किये जा रहे है। जिनका वह भुगतान करने के लिये जिम्मेदार है। धारा 10 के कथन पूर्णतया असत्य व अस्वीकार है। परिवादी के द्वारा मीटर खराब होने से सम्बनधित कोई भी शिकायत विपक्षी के कार्यालय में नहीं की गयी और न ही मीटर की जांच कराने हेतु कोई शुल्क जमा

आगे जारी है।

किया । परिवादी के द्वारा उक्त दोनो कथनों से सम्बन्धित कोई प्रलेख विवाद पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किये गये है । परिवादी यदि अपने मीटर की जांच कराना चाहता है तो प्रार्थना पत्र तथा मीटर की जांच का शुल्क विभाग में जमा कर सकता है । धारा 11 के कथन जिस प्रकार लिखे गये है असत्य व अस्वीकार है । क्लॉज 5.5ए के अनुसार नये संयोजनो पर नया विद्युत मीटर जांचोपरान्त ही लगाकर सील किया जाता है । एवं समय-समय पर सम्बनधित अधिकारियों एवं कर्मचारीयों के द्वारा स्थलीय निरीक्षण भी किया जाता है । धारा 12 के कथन विधिक है जिनके कारण उक्त के संदर्भ में कोई कथन करने की आवश्यकता नहीं है । धारा 13 में क्लॉज 6.5 b(i) के प्रावधान उल्लिखित किये गये है जो कि विधिक है । जिनके संदर्भ में कोई कथन करने की आवश्यकता नहीं है । उत्तरित धारा के शेष कथन असत्य व अस्वीकार है । परिवादी को यदि कोई त्रुटि बिल में प्रतीत होती थी तो वह अपना प्रतिवेदन विपक्षी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता था । जोकि परिवदी के द्वारा नहीं किया गया । तथा सीधे परिवाद माननीय फोरम में में दाखिल किया गया । जोकि पोषणीय नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है । धारा 14 के कथन असत्य व अस्वीकार है । परिवादी के बिल की गणना गलत प्रकार से नहीं की गया है । यदि कोई त्रुटि है तो उक्त को साक्ष्य प्रस्तुत कर तथा बिल को सुधारने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त बिल को ठीक कराने की कार्यवाही परिवादी के द्वारा की जा सकती है । परिवादी के विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया गया है ।

निष्कर्ष

परिवादी के अधिकृत विद्वान अधिवक्ता मो. कौसर जाँह को एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया ।

इस परिवाद को निस्तारित करने हेतु निम्न लिखित बिन्दु बनाया गया :-

(1) परिवादी को विद्युत कनेक्शन एयरसेल के नाम से टावर आजाज नगर सौरिख छिबरामऊ में विद्युत कनेक्शन संख्या 4222/031240 जारी हुआ था । जो कि विधिक प्रावधानों के अनुसार परिवादी से अथवा एयरसेल से निर्धारित धनराशि नये कनेक्शन के सम्बन्ध में लेने के उपरान्त जारी किया गया था । कोई अतिरिक्त धनराशि को परिवादी से जमा नहीं कराया गया था । परिवादी का मीटर सही प्रकार से काम कर रहा है । परिवादी के द्वारा कोई भी शिकायत पत्र मीटर के सही प्रकार से कार्य न करने के सम्बन्ध में नहीं दिया गया । अन्यथा विपक्षी के द्वारा निर्धारित शुल्क मीटर की जांच कराने का जमा कराकर मीटर की जांच कराई जा सकती थी । परिवादी के द्वारा माह दर माह के बिलों की धनराशि का भुगतान न करने के कारण उसके ऊपर दिनांक 20.02.2017 तक रू. 4,30,098/- बकाया थी । जिसमें परिवादी के द्वारा बकाया भुगतान न करने के कारण मय बकाया अधिभार रू. 3,59,660/- बाकी था । परिवादी के द्वारा एक चेक रू. 51,930.34 की दी थी वह भी अनादृत हो गयी थी । परिवादी के द्वारा दिनांक 19.04.2017 को मात्र रू. 9,294/- का भुगतान किया गया था । परिवादी के द्वारा अपने परिवाद पत्र के साथ दाखिल कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार भी कोई

आगे जारी है ।

बिल की धनराशि का माह 04/17 से पहले भुगतान नहीं किया गया है। जिसके कारण परिवादी समस्त बिल बकाया धनराशि को मय लेट पेमेन्ट सरचार्ज सहित भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है। परिवादी के ऊपर माह 02/17 तक रू. 4,30,098/- बकाया था। परिवादी को वर्ष 2012 से निर्बाध अर्थात बिना कटौती के विद्युत सप्लाई प्रदान होती रही जिसके कारण उसे पूर्व में बिल अर्बन सप्लाई क्षेत्र की तरह विद्युत के बिल जारी किये गये। वर्तमान समय में उक्त क्षेत्र की विद्युत सप्लाई ग्रामीण फीडर की तरह होने के कारण ग्रामीण फीडर के अनुसार बिल जारी किये जा रहे है। जिनका वह भुगतान करने के लिये जिम्मेदार है।

विपक्षी द्वारा उपभोक्ता को कार्यालय ज्ञापन एवं पी. डी. फाइनल बिल पत्रांक सं. 1989 दिनांक 22.03.2022 (का. सं. 4/1 ता 4/4) दिनांक 19.12.2022 को दाखिल किया गया है।

विपक्षी द्वारा परिवादी को कार्यालय ज्ञापन एवं पी.डी. फाईनल बिल दिनांक 19.12.2022 को उपलब्ध करा दिया गया था जिस पर परिवादी द्वारा कोई आपत्ति नहीं दर्ज करायी गयी है इसलिए संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

इन्डस टावर लि., छठवी फ्लोर, बी.बी.डी. विराज टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) का परिवाद निस्तारित किया जाता है। विपक्षी द्वारा परिवादी को दिये गये पी.डी. फाईनल बिल पर उसके द्वारा कोई आपत्ति न दिये जाने के कारण परिवाद निस्तारित किया जाता है। पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें।

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु0

30/12/22
(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांकः- 30 /12/2022

प्रस्तुत आदेश आज हस्ताक्षरित एंव दिनांकित होकर खुले फोरम में उदघोषित किया गया।

(संजीव कुमार गुप्ता)
सदस्य/अनु0

30/12/22
(संतोष कुमार तिवारी)
कार्यवाहक अध्यक्ष/तकनीकी सदस्य

दिनांकः- 30/12/2022

Distribution :- (i) परिवादी (ii) विपक्षी (iii) प्रबंध निदेशक (द.वि.वि.नि.लि.) (iv) मुख्य अभियन्ता (वितरण), कानपुर मण्डल, कानपुर (v) रिकार्ड प्रति